They are signatory to the Stockholm Convention. Earlier, they voted against this. The only one country voted in favour of endosulfan in the Stockholm Convention was India. Now, they have changed the position. They have full powers to issue a notification as per Section 27(2) of the Insecticides Act. My question is very direct. If it is okay, then it is okay to all of us, irrespective of our political ideologies. It is a humanitarian thing; if you are a human being, you should do it.

DR. SANJEEV KUMAR BALYAN: I understand. We have powers. I don't say that we do not have powers. We have powers. We will consider it. We will think over it, surely.

SHRI P. RAJEEVE: Okay. On the basis of that assurance, I am ready to withdraw this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Rajeeve, are you withdrawing the Bill? Or should I put the motion to vote.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, on the basis of the assurance regarding banning of endosulfan as per the Act, and, for construction of a hospital after consultation with the Health Ministry, I congratulate the Minister for giving this assurance. I withdraw this Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2013

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, we take up the next Bill, namely, The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2013. Shri Vivek Gupta.

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, be taken into consideration."

Sir, the original Act, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act was passed sometime in 2006. Since then, the definition of micro, small and medium enterprise has not been changed. Many requests to the successive Governments and to other concerned authorities have yielded no results. Sir, the people in the micro, small and medium enterprises sector hope that with the 'अच्छे दिन की सरकार', इस सैक्टर के लिए भी अच्छे दिन आएंगे।

[Shri Vivek Gupta]

Sir, before I start, I would like to narrate a small story. सर, दो दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त बोला, यार, 1000 रुपये कमाने हैं, इसके लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका बताओ। तब दूसरा दोस्त बोला, 1,00,000 रुपये के साथ तुम लघु-उद्योग चालू कर लो। सरकार के जो नियम हैं, उनके कारण बहुत जल्दी ही तुम 1,00,000 रुपये से 1000 रुपये पर आ जाओगे।

Sir, through you, I would like to draw the attention of hon. Kalraj Mishra*ji* to the fact that the definition of MSME has not been changed, and, it still remains at twenty-five lakhs rupees for manufacturing concerns for micro enterprises. Sir, from 2006 till now, the annual inflation has been, at least, 60 - 65 per cent. This has not been taken into account anywhere. Sir, the same is the case with services, which is at ten lakh rupees from 2006. Sir, so much of inflation has taken place but this has not been taken into account.

Sir, take the example of people who sharpen blades. The cost of that simple cycle-machine which is used to sharpen blades has gone up so many times, and, they have not done anything. Even the Standing Committee Report on MSME has strongly urged that this definition should be revised. Sir, Kalrajji is a very informed, seasoned and old politician. He probably knows all of this. But I would just like to reiterate this information. The MSME segment contributes 8 per cent of the country's GDP; 40 per cent of the manufacturing output and it has a 21 per cent compounded annual growth in production. It contributes 40 per cent to India's exports. It employs 40 per cent of India's workforce–highest after the agriculture sector. It registered 200 per cent increase in the first decade of this millennium. It has 26 million units across the country.

[THE VICE-CHAIRMAN DR. SATYANARAYAN JATIYA, *in the Chair*)]

However, Sir, the problem is, out of these 26 million units, around 346 lakh units are still unregistered. Sir, from 2006 to 2013, since this Act has come into place, nothing has changed much. Only 4 per cent of the units are still registered.

Sir, I come from West Bengal and I would like to mention a few things about West Bengal. Sir, four-and-a-half thousand people are employed in 38 industrial estates and 12 commercial complexes. We have increased the ancillarization and vendor linkages of MSME from current 2 per cent to 10 per cent by public procurement policy. This will lead to a 25 per cent increase in production by MSMEs. We have set up land banks in Hooghly, Bankura, Midnapore and industrial estates in Rezinagar, Ambari Falakata and Durgapur in Burdwan exclusively for Micro, Small and Medium Enterprises. Sir, we have many schemes to boost proposed MSMEs in sectors like jute, textile, leather and innovative and modern technology. There is also a State-level interdepartmental Task Force to look after the problems and issues of MSME. We provide them power subsidy, electricity duty and other incentives. We also reward them when they increase the energy efficiency and we give them increased assistance. We have a new Prime Minister. He has spoken about clusters and smart cities. However, I would like to draw his attention that there is a Prime

Minister's Task Force on the Micro, Small and Medium Enterprises, formed in 2010. The target that they have set is 10 per cent annual growth in number of micro enterprise accounts for banks – what has been achieved is known to all of us. There is hardly any achievement by banks on this – and sixty per cent of the total lending of MSME sector should be to micro enterprises. Our banks are found lagging in this regard as well.

Sir, I wish to draw your attention towards the problems that this sector faces before I go on to my next section. There are some major setbacks. The MSME people are basically people who are unemployed, uneducated and who want to do something in life because they want to make out on their own. They are entrepreneurs. But, Sir, we have to realize the high cost of credit, the interest rate that is charged by the banks. If you want to buy a car, the interest rate is only 8 per cent. If you want to buy any consumer goods, it is 9 per cent or something like that. But if you want to set up an MSME unit and you want some loan from the bank, you have to pay interest at the rate of 14-15 per cent or even more. Sir, there is no institution, there is no availability of any start-up capital, any assistance to them. There are multiplicity of regulations both at the State and Central level which lead to confusion in taxation and such other harassment to the MSME entrepreneurs.

Sir, through you, I would like to request hon. Kalrajji that the National Board of MSME, since 2006, has met only nine times whereas they are supposed to meet every quarter. Sir, there is a public procurement policy of 20 per cent for MSME which was supposed to be effective from 1st April, 2012. We hope that the new date of 1st April, 2015 will be adhered to. However, my request to hon. Kalrajji is, if possible, to prepone the date and make it effective from 1st of October this year itself. MSMEs are often inexperienced entrepreneurs. More often than not, they fail. India does not have any bankruptcy law. My submission to you, through the hon. Vice-Chairman, is to bring some legal bankruptcy framework to protect MSMEs because they genuinely try to do some nice business and create employment for everybody.

Sir, the credit gap between the demand of credit and the credit given by banks for MSME sector is still very high - 62 per cent.

Now, I come to guarantee cover where fee and annual service charges are borne by the borrower. To get the guarantee cover for Micro and Small Enterprises, a guarantee and annual service fee are charged by the banks. This is also very high. Something should be done to reduce this.

Sir, 96 per cent of the MSMEs are unregistered. If there is a simple procedure for their registration, I am sure they would like to comply with it. They would like to do something about it. By registering them, the Government will have more accurate data to help them in a big way. They fight against all kinds of odds. There are inadequate infrastructure facilities which include power, water and roads. Other issues are labour and

[Shri Vivek Gupta]

environmental laws, low access to new technology, poor adaptability to changing trends, lack of access to international markets and lack of skilled manpower. Still they survive.

Sir, I would like to place on record my sincere appreciation of hon. Minister Kalraj Mishraji for launching online finance facilitation centres for SMEs recently. We hope that this will, at least, solve some of the problems faced by them. Heartiest congratulations to him. This was a step long desired and long wanted. This is supposed to be one-stop-shop, but there are still loopholes and we hope that his Department will be able to address them shortly.

As my Bill states, I would like that the Banks are forced some way to lend to MSME sector at one per cent above the fixed deposit rate and not at a higher amount. Inflation is there. Machineries are required. We need smart cities. We need so many other things.We need to invest in plants and machinery. We need collateral free loans. Twenty five lakh rupees is not the limit we are looking for. We are looking for at least two crore rupees. The basic thing is this. If I have money to provide collateral, why would I go to bank to borrow? I can invest that in my business.

हम भारत देश में रहते हैं, हमारे घरों की महिलाओं के सोने के जेवरात, अपने घर के आभूषण, अपने घर के कागज आदि सब गिरवी रखकर हम लोग धंधा करने निकलते हैं। अगर हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता, तो हम उसको गिरवी रख देते, मगर बैंक्स इस बात को समझना नहीं चाहते हैं और उसके कारण कोई भी एमएसएमई बेचारा काम नहीं कर पाता है।

Sir, there are 2032 specialised branches for lending to MSMEs. We would request you to increase them. सर, ये ब्रांचेज ज्यादा ग्रामीण इलाके में हों।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : अब आप conclude कीजिए।

श्री विवेक गुप्ता : सर, जितने तरह के laws हैं, उनके बारे में entrepreneurs को जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी मुहैया कराने का कोई सिस्टम हो जाए, तो वे लोग भी सारे laws को observe कर सकेंगे। सर, मैं दो प्वाइंट बोल कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सर, एम.एस.एम.ईज. के लिए बिजनेस करने का जो cost of transaction है, वह बहुत ज्यादा है और यह नॉर्मल कॉरपोरेट से भी बहुत ज्यादा है। इसको कम करने के लिए भी कोई उपाय किया जाना चाहिए।

सर, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यहां पर छोटे-छोटे बहाने पर एम.एस.एम.ईज़ को एक्सपोर्ट के लिए रोक दिया जाता है, उनको तकनीफ दी जाती है। अगर उनके लिए अलग से कोई एक्सपोर्ट सेल बना दिया जाए, जो उनकी दिक्कतों को समझे और इसमें उनको गाइड कर दे, तो वह उनके लिए फायदेमंद होगा। सर, एम.एस.एम.ई. कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, उसको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। अगर उसको कोई गाइड कर दे, तो वे भी नियम का पालन करके उसको कर सकते हैं। सर, मैं बहुत आशा के साथ अपना यह बिल मूव करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर सकारात्मक रूप से विचार करें।

The question was proposed.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I appreciate hon. Member Vivek Guptaji for bringing this Bill. We know it very well that the hon. Minister, Shri Kalraj Mishra, has huge experience in various fields.

This Ministry is a very important Ministry for employment opportunities, foreign exchange, GDP, etc. In every aspect, this MSME sector is a very important one. This sector earns more than 48 per cent of the GDP and more than 40 per cent of the exports are made through MSME. This is the most neglected area. Mr. Vivek Gupta has brought forward two major issues, that is, the financial aspect by the public sector banks and the other commercial banks. It may be a rare thing to see that finance is to be available at one per cent interest for MSME, but it is a correct proposition because the MSME is the first preliminary step for entrepreneurs who have come forward in the young age after completing their Masters' Degree in Management or Engineering or any other type of scientific field. They have the anxiety to manufacture. They have got certain technical knowledge.

Sir, in my short period as Minister of State for Commerce and Industry, I had negotiations with various countries like Japan, Germany, the Central Europe and also the erstwhile Russian countries. They are all very anxious to have the cooperation of the MSME sector. They want to transfer the technology to the Indian MSME sector. At'the same time, they are also ready to invest in that area. I would just give an example. Tiruchirappalli in Tamil Nadu has Bharat Heavy Electronics Limited unit, which depends upon the MSME sector. When Tiruchirappalli was selected as one of the locations for making a BHEL unit, at the time, Shri Kamaraj, who was the then Chief Minister, made it possible to bring many of the small scale industries in and around BHEL factory itself. But, unfortunately, when the BHEL could not get tenders from NTPC or any other Government agencies, the consequence is that for their dependence more on the boilers and spare parts for BHEL, the MSME sector becomes defunct. Therefore, we could revive it by getting more orders through BHEL to the NTPC even though there was heavy competition from Chinese products.

Sir, the important issue in this matter is that woman entrepreneurs are also coming forward to start MSME. If you see Tiruchirappalli, we could organise woman entrepreneurs who can manage that and who are ready to have a discussion with the Japanese investors to have the technology transfer and also FDI. When we talked with the Japanese agency, they told us that they were very much interested to invest in that area because already the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor is on the anvil and the Japanese Foreign Investment

[Dr. E.M. Sudarsana Natchiappan]

Agency is looking after that project. They want to have more and more investment in the MSME sector. But, there is one thing. When they are coming forward with investment, they want to see whether it will run or not. Therefore, we requested them to come as a team, have negotiations with concerned entrepreneurs who already have established small or medium scale enterprises and who are already having orders from some other heavy industries; then, you will have the confidence as to how these people are working, how the workers are working, how they are cooperating, what is the wage structure, how you are going to bring new machinery from Japan, how they are going to open that machinery, how to install it, etc. For that, you need some rudimentary knowledge of Japanese language. They have the Human Resource Development Agency of Japan.

They are ready to give us training for that purpose also. Therefore, in this way of collaboration with Japan, Germany or European countries or American countries we can get more and more inflows for the MSME sector. If that happens this one per cent interest, even below that, .05 per cent, is the only interest of the foreign countries. We are giving at 12 per cent or 18 per cent, and making them to succumb to the SARFAESI Act. Even a loan of ₹10 lakhs even three orders which were obliged by the MSME entrepreneur, and that payment was not paid properly – was brought under the SARFAESI Act by the bank. They are attaching their properties. They are closing down the unit. When the MSME act was brought by the UPA Government, and also when we were discussing on the Finance Bill, we told the Government that you should not apply the SARFAESI Act against small and medium enterprises. Kindly ensure that MSME sector do not suffer due to the SARFAESI Act. The SARFAESI Act should be made applicable against the entrepreneurs who take a loan of ₹10 crore and above and who are not repaying it properly. If you see the investment portfolio of any commercial bank or the public sector bank, you will find only two people are paying back loans properly. There are no NPAs. One is the agriculturist and another is MSME. People who are taking a loan of ₹10 crore are paying; and people who are taking more than ₹100 crores are not paying. NPAs are going on increasing in that area. Therefore, this is the correct juncture when you want to give more employment opportunities for the new entrepreneurs and also boys and girls who are fresh coming out of the professional colleges with anxiety. They want to show their patriotism. They do not want to go to the Western countries or America. They want to be in India. They want to show their efficiency. They want to bring out their manufacturing capacity. The Government should help them by finance. Therefore, this is the appropriate time to make the banks to come down and settle the matters.

Similarly, when you are having interaction with various countries, they are ready to come forward to transfer the technology at the MSME sector level. If you hold a conference of the like-minded countries, and the Chambers of Commerce of the various countries it will help the sector. The Ministry of Commerce is having an 'Invest, India' Centre where Indian entrepreneurship can be developed. The Government of India is making certain payment to that particular agency which is having collaboration with the FICCI. It is working well. There we called many people. They have attended it. Entrepreneurs from various countries are ready to come and invest, transfer the technology and make the products. They are ready to export these products to their countries. You know very well, Sir, now a days, the industry is having a system of manufacturing products in one country and assembling the same in another country. But India should become hub of the industry. It can happen only by making the MSME sector healthy and robust so that assembly of the products also can happen here. More so, when we allowed the FDI in the multi-brand sector, we made a condition that, at least, 30 per cent of the manufacturing goods should be made in India itself. That was one of the conditions when we allowed the FDI into the industrial sector. In the pharma sector also we have restricted like that. For that purpose you need to help the MSME. Unless the Government helps the MSME with financial support, we cannot create employment opportunities for our youth who are coming forward to put their knowledge earned through education and experience, and we cannot succeed in that. I feel that the Ministry will look very seriously at the amendment suggested by one of the industrialists. Mr. Vivek is a very well-known personality in West Bengal as an industrialist and as a media person. He has come forward with the proposition which is a very interesting one.

Finally, I want to submit that the Ministry of Finance, Banking Department should be approached to see that the SARFAESI Act is not made applicable for the MSME sector. If necessary, the Government should also come forward with an amendment to the SARFAESI Act. The limit which is now ₹ 10 lakhs, should be increased to ₹ 10 crores, and the SARFAESI Act should be applicable above that so that many of industrialists in the MSME sector, which is now closed, can come back. They will have more opportunities to come forward in the manufacturing sector. Thank you.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I started my career as a woman entrepreneur and I would like to share my views as a very early and small service sector-oriented MSME, a person who is now more responsible, who has become a people's representative to look upon the MSME sector, which has a great potential to help economic recovery and to accelerate the overall growth of the economy. In view of its significant capacity to

[Shrimati Vijila Sathyananth]

create employment, the MSME sector deserves great attention of this august House. There are a large number of MSMEs that are scattered around the country because of which there is no nationwide association or federation. I know that they have not come under an organized association or a federation where they can represent their interests as well as their shortfalls. As rightly pointed out by my counterpart and colleague, Dr. Natchiappan, my good friend, Shri Vivek Gupta, has brought the Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill. Sir, the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act was notified in 2006 to address the policy issues affecting all the MSMEs as well as the coverage and investment ceiling of the sector. The Act seeks to facilitate the development of these enterprises as also to enhance their competitiveness. It provides the first ever legal framework for recognition of the concept of 'enterprise' which comprises both manufacturing and service entities. It defines medium enterprises for the first time and seeks to integrate the three tiers of these enterprises, namely, micro, small and medium. As you all know, the Act also provides for a statutory consultative mechanism at the national level with balanced representation of all sections of stakeholders, particularly the three classes of enterprises and with a wide range of advisory functions. Establishment of specific funds for the promotion, development and enhancing competitiveness of these enterprises, notification of schemes/programmes – because they need to be informed about the new schemes announced by the Government -- progressive credit policies and practices; preference in Government procurements to products and services of micro and small enterprises, and also assurance of a sctnreme for easing the closure of business by these enterprises, are some of the other features which have been incorporated in the Act. Then the main thing is, the Government could consider concessions or even tax holidays, which are offered by many countries. I know many countries provide tax concessions to these sectors which are going to develop the economy. This is because everybody, all the vibrant youth, those who have qualified, those who get their degrees, masters, etc., cannot be employed by the Government. So, people have started to look forward for an alternative and that is business. So, they start a MSME to earn money for themselves as well as to give job opportunities for many inspiring youth. And I know this industry is a very valuable industry, and Tamil Nadu is an advanced State which has enhanced many, many such MSMEs. As rightly pointed out, in Trichy, in the BHEL area, there are so many small industries just around the BHEL, which have been started as sister concerns. They are either producing raw materials or supplying materials, thus providing job opportunities to themselves as well as supplying products for the BHEL. Also, talking about SIPCOT, everywhere, in each and every district, we have got SIPCOT areas where the Government has allowed the MSME to grow. People

who want to start a business, people who come to this industry, will be given a proper place, proper guidance, and in an organized manner, they can start the business and the Government helps them with land and capital. Also, they are given priorities in bank credit facilities, so that people can get more credit facilities. I would also like to point out that the young entrepreneurs face a lot of problems. When we go and approach the public sector banks, they, immediately, send us back because they want a proper security to be given for availing loans. So, as a young, budding entrepreneur, how can we give inherited properties as a security for availing loans and how can we approach banks for loans without this security? So, this has to be more flexible and people have to be encouraged more so that it creates more job opportunities. Also, skill development is needed. When I first put my foot on the service sector, I had training, proper training, because we have to be more educative, informative before starting a business. So, young entrepreneurs come up with a lot of skills and a lot of potential in them, and the Government should encourage them a lot. Now, our hon. Chief Minister, our dynamic Chief Minister of Tamil Nadu, has encouraged many women entrepreneurs. She has introduced a new pilot visionary scheme, the New Enterpreneur Enterprise Development Scheme (NEEDS) for young, budding women. Women, between the age group of, I suppose, 25-40 years can avail loans. So, women are encouraged. They are encouraged in the manufacturing sector as well as in the service sector. Under the NEEDS, women entrepreneurs can get up to ₹1 crore as loan without giving any security to banks.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: So, this is the greatest scheme /which our hon. Chief Minister has introduced in Tamil Nadu and which is a torch-bearer for all women entrepreneurs of our country. She has become an inspiring leader for one and all. It has also created women empowerment. The potential women can set foot at the right place and start their business...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: And communication connectivity improves in all the service sectors. Sir, if you see, on the Trichy-Pudukottai road and also the Chennai-Sriperumbudur road, several innovation hubs and many MSMEs have been started there. It is because in the IT industry it provides all the basic necessities for the IT industry. So, if you see in these areas, Tamil Nadu is now in the forefront of promoting MSME sector in the country and regular marketing ensures these MSME sectors to grow regular credit facilities for worthy customers. Also, I would like to point out that Government should bring reforms in such a way that rehabilitation package for revival of viable sick Micro and Small Enterprises (MSEs) is provided by primary lending institutions...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. Thank you.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Sir, just one word. Early detection of sickness, a viability study to form the basis of rehabilitation package to potentially viable sick Micro and Small Enterprises and a non-discretionary one-time settlement scheme for such sectors would benefit all the MSE sectors to move forward. As rightly pointed out by our hon. Finance Minister, the Leader of the House, this will be a great time that India will prosper by improving. He has stated in his speech that in order to create a conducive ecosystem for the venture capital in the micro, small and medium enterprises sector, it is proposed to establish a ₹ 10,000 crore fund to act as a catalyst to attract private capital. ...*(Time-Bell)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. You have taken more than the sufficient time.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: And this will be a greater opportunity. It is a new millennium for improving this private sector and new employment opportunity is high. Interest rates should be brought down, as mentioned by the Member who brought forward this Bill. I would like this Bill to be passed in the august House so that MSME sector would be more protected and more internationally viable and, also, it will help women folk all the more to stand on their own legs, to be empowered. Women empowerment will be more in this country. Thank you.

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान) : सर, सबसे पहले तो मैं विवेक गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, जो आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कलराज मिश्रा जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और इनकी कार्यक्षमता को, इनके काम करने के तरीके को ...**(व्यवधान)**...

कुछ माननीय सदस्य : हाउस की स्क्रीन पर आपका नाम गलत आ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आप अपनी सीट से बोलेंगे, तो स्क्रीन पर आपका सही नाम आएगा।

श्री नरेन्द्र बुढानिया : सर, मैं यह समझता हूं कि एम.एस.एम.ई. जो एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, यह मजबूत हाथों में है और आने वाले समय में एम.एस.एम.ई. के माध्यम से हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो सबसे बड़ी समस्या आज़ाद भारत के लिए क्या थी? देश में बेरोज़गारी दूर हो, देश में उद्योग-धंधे लगें, बड़े उद्योग लगें और उनके साथ छोटे और मध्यम उद्योग लगें,..ऐसी परिकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों ने की थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पंडित

जवाहरलाल नेहरू के इस vision से भारत के अंदर इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है, चाहे वह छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सार्वजनिक उपक्रमों की परिकल्पना से आज हमारा देश एक ताकत के रूप में उभरा है। नेहरू जी ही नहीं, उसके बाद लालबहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे देश के नौजवान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के समय में एम.एस.एम.ई. को बहुत मदद की गयी, उसको आगे बढ़ाने के अनेक प्रोग्राम चलाए गए, अनके योजनाएं चलाई गयीं। आज हम लोग कह सकते हैं कि एम.एस.एम.ई. के तहत केन्द्र सरकार पूरे भारत में, सभी प्रदेशों में इस क्षेत्र के अन्दर वित्तीय सहायता प्रदान करती है, हरेक क्षेत्र के लिए करती है, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, जमीन का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार सब्सिडी उपलब्ध करती है, पैसा देती है, लेकिन आज इस संबंध में फिर से विचार करने की जरूरत है। आज देश में सबसे बड़ी समस्याओं बेराजगारी की है। जो आम नौजवान है, वह सरकारी नौकरी की तरफ भागना चाहता है। सरकारी नौकरी के पीछे भागते-भागते वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि फिर वह किसी काम का नहीं रहता है। आज अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सरकारी नौकरी के साथ-साथ उनका ध्यान छोटे उद्योगों की ओर आकर्षित करना पड़ेगा। देश में ऐसा वातावरण बना भी है, लेकिन इस वातावरण को बढ़ाने के लिए इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। आज कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होकर अपना भला तो करेगा ही, उसके साथ-साथ उस प्रदेश का और देश का भी विकास होगा। कलराज मिश्र जी पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे एम.एस.एम.ई. के माध्यम से देश में इस प्रकार का वातावरण बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे युवा लोग छोटे-छोटे उद्योग लगा सकें।

महोदय, मैं कई क्षेत्रों में गया हूं, कई प्रदेशों में गया हूं। अभी पिछले दिनों हम नॉर्थ-ईस्ट में गए थे। नॉर्थ-ईस्ट के बारे में हमारी यह कल्पना थी कि वहां कोई काम नहीं होगा। वहां लोग किस प्रकार से अपना काम करते हैं, इस बारे में दिमाग में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन वहां जाने के बाद हमें इतना अच्छा लगा कि वहां के नौजवान, विशेष तौर पर वहां की महिलाएं, छोटे-छोट उद्योग लगाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा। हम एक महिला उद्यमी के पास गए। उन्होंने एक छोटा सा होटल बना रख था, जिसको ढाबा कह सकते हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों के स्कूल का सारा खर्चा निकालने के बाद अपने ऋण की अदायगी करती हूं ओर इसमें से मुझे कुछ बच भी जाता है। आज ऐसी एक नहीं, अनेक इंडस्ट्रीज स्थापित हुई हैं, जिनका लाभ मिला है, लेकिन इसमें बहुत सी परेशानियां आती हैं। कलराज मिश्र जी जमीन के आदमी हैं, वे जानते हैं कि एक बेरोजगार जब लोन लेने के लिए बैंक जाता है, तब उसकी क्या स्थिति होती है, उसको वहां कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, ऋण लेने के लिए कितना जलील होना पड़ता है? स्कीम हमारी, पैसा हमारा, लेकिन जब वह ऋण लेने के लिए जाता है तो उसे वहां जलालत महसूस करनी पड़ती है। कभी यह गारंटी लेकर आओ, कभी वह गारंटी लेकर आओ। माननीय विवेक गुप्ता जी ने सही कहा कि यदि उसके पास गारंटी होती, यदि उसके पास पैसा होता तो वह लोन लेने जाता ही क्यों? वह इसलिए लोन लेने जा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। वह ऋण लेकर अपना उद्योग लगा सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि इस महंगाई के जमाने में आज एक लाख, पांच लाख, 10

[श्री नरेन्द्र बुढानिया]

लाख, 25 लाख से काम चलने वाला नहीं है। कोई उद्यमी इतने कम पैसे में उद्योग नहीं लगा सकता है। आप इस पर गंभीरता से विचार करिए। अगर कोई छोटी सी साबुन की फैक्टरी खोले या वह जिस प्रदेश में रहता है वहां पर जूट का काम करे या जो गांव के अंदर छोटे-छोटे धंधे हैं, उनको लगाए, तो क्या वह इतने पैसे से काम कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए छोटे उद्योगों को वित्तीय ऋण देने में प्राथमिकता देनी होगी। आपको सबसे पहले यह निर्णय लेना होगा कि इस ऋण की सीमा को बढ़ाया जाए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको इसे 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर देना चाहिए। अभी हमारे साथी ने बहुत important बात कही है। आज हमारे देश में मदद के अभाव में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ सिक हो रही हैं, सिक पड़ी हैं, उनकी रिवाइव करना बहुत जरूरी है। ये इंडस्ट्रीज़ मदद देने से रिवाइव हो सकती हैं। इनको मदद मिलना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि आप इस तरफ जरूर ध्यान देंगे।

मैं के.वी.आई.सी. के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। के.वी.आई.सी. ने देश में बहुत अच्छा काम किया है। के.वी.आई.सी. के माध्यम से देश में बहुत उद्योग लगे हैं। के.वी.आई.सी. के द्वारा छोटे उद्योगों को सहायता दी जा रही है। इस बात को हमने नजदीक से देखा है। फिर भी आपको के.वी.आई.सी. की तरफ ध्यान देना होगा, इसकी मदद करनी होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अंदर एक और महत्वपूर्ण योजना है जो कि पी.एम.ई.जी.पी. है। यह स्कीम भी बहुत अच्छी स्कीम है। इसके माध्यम से बहुत से नौजवानों को राहत मिली है, लेकिन इसमें भी वैसी ही समस्याएं सामने आती हैं, इसमें भी बैंकों से मदद न मिलने की समस्या सामने आती है। आपको ऋण के सरलीकरण के लिए उपाय करने होंगे। मैं ज्यादा न बोलकर इतना ही कहना चाहता हूं कि एम.एस.एम.ई. देश का मुख्य विभाग है। इसके माध्यम से हमारे देश का तेजी से विकास हो सकता है, हमारे देश के नौजवानों को मार्गदर्शन मिल सकता है। बड़े उद्योगों के साथ छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज ज्यादा लग सकती हैं। इन सब के लिए आपको एक बड़ा निर्णय लेना होगा, एक कठित निर्णय इनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लेना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज के इस प्राइवेट मेम्बर्स बिल के अंतर्गत सम्मानीय सदस्य विवेक गुप्ता जी ने एम.एस.एम.ई. में जो कठिनाइयां हैं, जटिलताएं हैं, उस संबंध में कुछ अपने सुधार और संशोधन प्रस्तुत करने की बात 2006 के अधिनियम के अंतर्गत कही है। यह बात सही है कि एम.एस.एम.ई. एक ऐसा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के माध्यम से हम छोटे-छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ा सकते हैं और सर्वाधिक मात्रा में बेरोजगार नौजवानों को समायोजित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि एम.एस.एम.ई. एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सर्वाधिक जनसहभागिता हो सकती है और सर्वाधिक क्षेत्रों का समायोजन हो सकता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसका लाभ उठाते हुए यह कोशिश की जा सकती है कि इसमें अधिक से अधिक लोग आ सकें।

महोदय, हमारे यहां पर बेरोजगारी की समस्या कितनी भयंकर है, इसके बारे में बताने की

आवश्यकता नहीं है। छोटे-छोटे उद्यमियों को किस तरीके से आकर्षित करते हुए उद्यम लगाने की दृष्टि से प्रेरित किया जाना चाहिए, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। जिन बाधाओं के बारे में हमारे श्रीमान विवेक जी ने, श्रीमान् नाच्चीयप्पन जी और श्रीमान् नरेन्द्र जी ने वर्णन किया है, उस संदर्भ में यह बात सही है कि वे बाधाएं विद्यमान हैं। इन बाधाओं के कारण, विशेषकर बैंक के कारण परेशानियां आती हैं। कई औपचारिकताएं इस तरीके से पूरी करनी पड़ती हैं, जिनके कारण वह चीज़ उचित समय के अंतर्गत नहीं आ पाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कभी-कभी वह उद्यमी निराश होकर बैठ जाता है। उनकी जो शर्तें भी कभी-कभी डिफर हो जाती हैं अगर वह उसको तीन महीने के अंदर नहीं ले पाता है तो बेचारा एन.पी.ए. से और त्रस्त हो जाता है। ये कठिनाइयां हैं और हम सब लोगों ने इन पर विचार किया है। जैसा कि हमारे सम्माननीय विवेक जी ने कहा है, आपने कहा है, श्रीमान् नाच्चीयप्पन जी और बहिन जी ने भी कहा है कि इसका सरलीकरण होना चाहिए, तो मैं बता दूं कि हम सरलीकरण के संबंध में विचार कर रहे हैं और उस संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ है। जिस ढंग से, कई तरीके से लघु उद्यमियों को परेशान होना पड़ता है, इधर-उधर भागना पड़ता है, हमारी यह कोशिश है कि उनको इधर-उधर कम से कम भागना पड़े और औपचारिकताओं को पूर्ण करने में उनको बैंक द्वारा ज्यादा परेशान न होना पड़े। हमारा यह प्रयास है कि एक टाइम लिमिट के अंदर उनको सारी चीजें प्राप्त हो जाएं।

महोदय, हम यह जानते हैं कि एम.एस.एम.ई. हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। हमारे यहां इसका कोई बहुत अधिक विस्तार नहीं है, जैसे इन्होंने अभी बताया, उल्लेख किया, जो बहुत सही उल्लेख है कि जो रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, वे बहुत कम हैं, अनरजिस्टर्ड ज्यादा हैं। उसके बावजूद भी यह निर्माण के क्षेत्र में 45 फीसदी है, जो पूरा ग्रोथ रेट है, उसमें लगभग 8 परसेंट है और निर्यात के क्षेत्र में 43 परसेंट है। अगर इसको और विस्तार दिया गया, व्यवस्थित तौर पर ध्यान दिया गया, तो ये चीज़ें अधिक बढ़ सकती हैं और देश के हालात केवल एम.एस.एम.ई. के माध्यम से इस तरीके से बदल सकते हैं कि एक विकसित देश का स्वरूप प्रदान करने में एम.एस.एम.ई. का ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सर, एम.एस.एम.ई. का इतना अधिक महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर कि छोटे-छोटे उद्यमियों को परेशानी न होने पाए, हमने इस दिशा में कुछ करना शुरू किया है। जैसे हमने एम.एस.एम.ई. को ऑनलाइन लॉंच किया है, इससे भी लोगों का बड़ा फायदा होगा। हम और भी वेबपोर्टल वगैरह लॉंच कर रहे हैं, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन में विवेक जी ने मुख्य रूप से दो-तीन बातें रखी हैं। एक तो उन्होंने यह बात रखी है कि 2006 के बिल में 10(ए) और 10 (बी) को बढ़ाया जाए। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बैंकिंग फिक्स डिपोजिट इधर से 1 परसेंट से ज्यादा की दर पर एम.एस.एम.ई. को कर्ज देगा। बैंकिंग पॉलिसी का निर्धारण रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और उसकी कुछ गाइडलाइन्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स का निर्धारण बैंक का बोर्ड करता है, हमारे लिए यह सम्भव नहीं है। हां, वह ठीक है कि जो टास्क फोर्स बनाया गया था, उसकी कुछ गाइडलाइन्स हैं, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी हैं, जिनके आधार पर चीजें चल रही हैं। इसको हम नहीं कर सकते, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही अपने हिसाब से इसे कर सकता है, इसलिए इसमें कठिनाई है।

[श्री कलराज मिश्र]

दूसरा, उन्होंने 'क्रेडिट गांरटी फंड' की सीमा दो करोड़ रुपये तक बढ़ाए जाने के लिए कहा है। इस विषय में एम.एस.एम.ई. की तरफ से हम एक प्रयोग कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से धनराशि लेकर हमने कार्य प्रारम्भ किया है और उसके अनुभव के आधार पर भी भविष्य में हम निर्णय ले सकते हैं।

तीसरी बात जो इन्होंने कही है, वह यह है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर एम.एस.एम.ई. में धनराशि तथा इक्विटी धनराशि की उपलब्धि के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। विवेक जी और हमारे सम्मानित सदस्यों ने यह देखा होगा कि बजट में स्वयं जो वेंचर कैपिटल है, वह 10,000 करोड़ रुपये रखा गया है। समय-समय पर केन्द्र सरकार बजट के माध्यम से इसके लिए प्रयत्न करती रहती है। अभी जो घोषणा की गई है, इसके पहले जो पिछले बजट आए थे, उनमें भी घोषणाएं की गई थीं। धन की उपलब्धि की दृष्टि से, धन के प्रवाह की दृष्टि से शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कठिनाई और दिक्कत न हो, यह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी आवश्यकताएं प्रतीत हो रही हैं, उन आवश्यकताओं के आधार पर जितना धन लग सकता है, जितने धन का हम सदुपयोग कर सकते हैं, हमारा यह प्रयास है कि वह धन हम अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि हम लघु उद्यमियों को अधिक से अधिक आकर्षित कर सकें। धन के प्रवाह की दृष्टि से मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि इस दिशा में हमारा लगातार प्रयत्न जारी है और सरकार की तरफ से यह कार्य किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में इक्विटी पूंजी के अंतर्प्रवाह को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इसके आरम्भिक विकास के शुरुआती चरण में हमारा यह प्रयास रहा है कि उद्यमों सहित एम.एस.एम.ई. को इक्विटी तथा ऐसे ही वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। इसके लिए सरकार और भारतीय रि जर्व बैंक समय-समय पर कई उपाय करते रहे हैं। इन उपायों के वित्तीय वर्ष 2008-09 में एम.एस.एम.ई.विशेषरुपसेनवप्रवर्तनों और नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े एम.एस.एम.ई. की जो रिस्क कैपिटल है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय बजट में जोखिम पूंजी वित्तपोषण के लिए सिडबी में 2000 करोड़ रुपये की एक निधि के गठन की घोषणा की गई थी।

इसी ढंग से जोखिम पूंजी निधि के अंतर्गत, सिडबी एम.एस.एम.ई. को इक्विटी, प्राथमिकता पूंजी, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र, गौण ऋण आदि के रूप में जोखिम पूंजी सहायता प्रदान करता है और साथ ही प्रतिष्ठित वी.सी. निधियों की समग्र निधि में भी योगदान करता है। 31 मार्च, 2012 तक एम.एस.एम.ई. आर.सी.एफ. के तहत 1000 करोड़ रुपये की राशि ली गई है, जिसे पूरी तरह से प्रतिबद्ध किया गया है।

इसी तरह 2011-12 की घोषणा के बाद छोटे एम.एफ.आई. को अपने संचालनों में स्तर तथा सक्षमता प्राप्त हो सके, इसके लिए 100 करोड़ रुपये का एक "इंडिया माइक्रोफाइनेंस इक्विटी फंड" स्थापित किया गया था। 30 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक ने निधि से 37 एम.एफ.आई. के लिए 104 करोड़ रुपये की राशि प्रतिबद्ध की है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि 2013-14 में इस निधि के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि और उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। इसी ढंग से जहां तक पूंजी का प्रश्न है, हम लगातार एम.एस.एम.ई. को आगे बढ़ाने की दृष्टि से धन एवं निधि घोषित करते जा रहे हैं एवं उसका उपयोग भी होता जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मार्च 2012 में 396.343 करोड़ रुपये, मार्च 2013 में 502.459 करोड़ रुपये और मार्च 2014 में 615.976 करोड़ रुपये हमने खर्च किए हैं, यानी इसमें डाले हैं। उस दृष्टि से लघु उद्यमियों को आकर्षित करने के हिसाब से और धन प्रवाह चलता रहे, इसके लिए बराबर हम काम करते जा रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई या दिक्कत नहीं आई है। आपने और भी सुझाव दिए हैं। आपके सुझाव अपेक्षित हैं, आप सुझाव दीजिए।

नेशनल बोर्ड की मीटिंग के बारे में यह बात कही गई है कि यह क्वार्टरली होनी चाहिए। अभी नेशनल बोर्ड की मीटिंग नियमित रूप से होती रही है, हम वह भी करेंगे। हमारे नाच्चीयप्पन साहब और हमारी बहन विजिला सत्यानंत जी ने कहा कि वीमेन एंटरप्रिन्योर्स को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि तमिलनाडु में बड़ी पर्याप्त मात्रा में ऐसा किया जा रहा है, तो हमारी तरफ से प्रयत्न है, सरकार की तरफ से प्रयत्न है कि वीमेन एंटरप्रिन्योर्स को भी हम अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें। हमारी यह भी कोशिश है कि रूरल एंटरप्रिन्योर्स को भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें। हमारी यह भी कोशिश है कि जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं, जो रीजनल इम्बैलेंसेज़ हैं, जिन स्थानों पर ये चीजें नहीं हो रही हैं, वहां भी लोगों के लिए छोटे-छोटे उद्यम लगाने का प्रयत्न करें। ऐसी कई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपने तमिलनाडु के बारे में बताया और विशाखापत्तनम में बी.एच.ई.एल. के बारे में बताया, हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। माइक्रो एवं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ऐसे भी सामान बनाये जा रहे हैं, जो इन इंडस्ट्रीज़ के काम में आते हैं। वे स्वयं उनको देते हैं, जिसे आप ancilliarisation कह सकते हैं, यह उनके द्वारा किया जाता है। इसके कारण एम.एस.एम.ई. को इस दिशा में लाभ प्राप्त होता है। प्रोक्योरमेंट की दृष्टि से 2012 का जो कानून है, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पी.एस.यूज़ हैं और हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ये कम से कम 20 फीसदी सामान एम.एस.एम.ई. के द्वारा लेंगे और 90 दिन के अन्दर उसका पेमेंट हो जाएगी। इसमें कई स्थानों पर तो उन्होंने लिया है, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। डिले पेमेंट भी ढंग से नहीं हो पा रही है या डिले पेमेंट भी नहीं हो रही है, यह एक कठिनाई आ रही है, लेकिन 2012 का यह जो कानून है, यह 2015 में मैनडेटरी हो जाएगा और तब बाध्य होकर उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा छोटे-छोटे उद्यमियों से जो भी प्रोक्योर किया गया है, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तब वह भी सामान्य तौर पर होगी।

इसके अलावा, ऐसी कई अन्य चीजें हैं, जिनके कारण कठिनाइयां हो रही है, उनको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। उनके ऑनलाइन हो जाने से एंटरप्रिन्योर्स स्वयं इसे देख सकेंगे, जिसके पश्चात् उनकी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं, कहां फार्म भरना है, कैसा लेना है, वह लेकर और उसे भरकर, अनेक जगह भाग-दौड़ करने में उन्हें जो परेशानी होती थी, उससे वे निजात पा सकेंगे। अभी हमने ऑल इंडिया के सभी ऐसोसिएशंस की एक मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने काफी सुझाव दिए हैं, जिनको हमनें कैटेगराइज किया है। उन्हें कैटेराइज करते हुए हमने उनको

[श्री कलराज मिश्र]

भेज भी दिया है कि ये-ये आपकी दिक्कतें है और हमने इनको संज्ञान में लेकर और इनके आधार पर और क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, उनको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी यह कोशिश है कि एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें आती हैं, उनको हम हिन्दुस्तान में सब तरफ ले जाएं और इसके माध्यम से लोगों को अवेयर करते हुए उनको साथ में जोड़ सकें। इसी दृष्टि से, स्किल डेवलमेंट का भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग 10वीं कक्षा भी पास नहीं हैं, फेल हैं, ऐसे लोगों के साथ-साथ हाई टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाले लोगों और एंटरप्रिन्योर्स के भी स्किल डेवलपमेंट का हमारा प्लान है। नाच्चीयप्पन साहब ने भी यह चर्चा की कि एंटरप्रिन्योर्स का भी स्किल डेवलमेंट हो, तो इसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है। आज जो यह अपेक्षा करते हैं कि हम एम.एस.एम.ई. के जरिए एक अच्छी आर्थिक स्थिति का निर्माण कर सकेगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह हो सकेगा।

विवेक जी, मैं कहूंगा कि आपने जो सुझाव दिए हैं, उनमें से काफी सुझाव हमने स्वीकार कर लिये हैं, इसलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि यदि आप इस बिल को वापस ले लें, तो ठीक होगा।

श्री नरेन्द्र बुढानिया : उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही है। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस बिल पर यहां पर जितने भी वक्ता बोले हैं, उन सबने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है, वह यह है कि इस मद में ऋण के रूप में जो पैसा दिया जाता है, क्या आप उसको बढ़ाने का काम करेंगे? दो करोड़ रुपए की बात कही गई है, कलराज जी, आज इस महंगाई के जमाने में कोई भी उद्योग एक करोड़ रुपए के बिना तो लग ही नहीं सकता है। आप इसके बारे में स्पष्ट करेंगे कि इस दिशा में आप क्या सोच रहे हैं? यदि आप इस प्रकार का काम करेंगे, तो जब आप क्षेत्रों में जाएंगे, तब आपको भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि युवा अपने आप आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आपके बगल में पासवान जी बैठे हैं, रेल मंत्रालय में किए गए कामों के कारण जब वे स्टेशन पर जाते हैं, तो इनको भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां के सारे कुली और डिपार्टमेंट के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गरीबों की मदद की है। आज आपको मौका मिला है, आप अपना फैसला बताइए कि आप इस संबंध में क्या करने की सोच रहे हैं?

श्री कलराज मिश्र : मान्यवर, आदरणीय सदस्य ने कैपिटल लिमिट बढ़ाने की बात कही है। मैंने पहले ही कहा कि हम सरलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बजट भाषण में अभी हमारे वित्त मंत्री महोदय ने 10 हजार करोड़ का वेंचर कैपिटल घोषित किया है, उसमें कहा है इस संबंध में विचार करने के लिए हम तीन विभागों यानी एम.एस.एम.ई., रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस की कमेटी बनाएंगे। इन सारी चीजों पर विचार करते समय यह भी इसके अंतर्गत आ सकता है। इस संबंध में अभी तत्काल कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन आपने जो कहा है, इसको हम सब लोग स्वयं अनुभव करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं कि यह कैसे व्यवस्थित हो तथा इसके बारे में क्या किया जाए।

श्री विवेक गुप्ता : सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री, कलराज मिश्र जी से मेरा विनम्र

निवेदन यह है कि हम सब लोगों ने बजट को सुना, उसमें वेंचर कैपिटल जरूर है, मगर जब यह वेंचर कैपिटल पैसा देना चाहता है, तो 25 करोड़ के नीचे कोई पैसा नहीं देता है। ये अपने मित्र अरुण जेटली जी से मिल कर इसके अंतर्गत कुछ ऐसा प्रावधान करवा दें, जिसमें उनके लिए कुछ बाध्यता हो, जैसे 20 परसेंट वाली बात है कि 20 परसेंट आपको एम.एस.एम.ई. से खरीदना होगा। इस तरह का प्रावधान हो कि कम से कम पांच परसेंट कैपिटल उनको देना होगा। सर. इन्ही शब्दों के साथ मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर बहुत बढ़िया जवाब दिया, and I withdraw the Bill. Thank you.

The Bill was, by leave, withdrawn

The Compulsory Military Training Bill, 2012

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, we shall take up the Compulsory Military Training Bill, 2012. Shri Avinash Rai Khanna.

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः

कि देश के सभी युवाओं को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देने तथा मैट्रिकुलेशन से स्नातक स्तर तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में सैन्य प्रशिक्षण को शामिल करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदय, दो साल बाद आज यह महत्पूर्ण बिल चर्चा के लिए सदन में आया है। मैं यह बिल जिस कारण से लाया हूं, उसकी पृष्ठभूमि और भूमिका इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो देश का हर हिस्सा, हर गांव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इंटरनेशनली जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं, वे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पंजाब से आता हूं। आज पंजाब का नौजवान नशे में इतना डूब चुका है कि पहले जो बहुत बढ़िया किसान, एक मेहनती ऑफिसर या आर्मी का जवान मिलता था, वह शायद आज हमें मिलना बंद हो गया है। दूसरी जो बात मेरे मन में थी, वह यह है कि अगर इस देश में अनुशासन नहीं है, तो देश नहीं चल सकता है, क्योंकि मानव शरीर भी बिना अनुशासन के नहीं चल सकता है, एक दफ्तर भी बिना अनुशासन के नहीं चल सकता है, इसी तरह कोई भी देश बिना अनुशासन के नहीं चल सकता है, लेकिन वह अनुशासन हम कहां से लाएं? आज परिवारों का सिस्टम ऐसा हो गया है कि मां-बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है और टीचर्स के ऊपर इतना बर्डन है कि वह अपना सिलेबस पूरा करने के लिए ज्यादा समय पढ़ाई में देते हैं। जब खेलों के लिए बच्चों के पास समय नहीं है, तो देश का बच्चा, देश का नागरिक अनुशासित कैसे होगा? जब हम इस देश के हालात देखते हैं तो पाते हैं कि कही नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है और कहीं इस देश को अलग करने की भावना पैदा हो रही है। इसका मूल कारण यह है कि इस देश में देशभक्ति की भावना कम हो रही है।

महोदय, जब मैं इस बिल की तैयारी कर रहा था तो मुझे यह पता चला कि जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई तो उस समय दिल्ली में जिन लोगों ने ट्रैफिक की सारी व्यवस्था को देखा, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। उन्होंने दिल्ली की सारी व्यवस्था को देखा और उसके बाद